

## न्यायालय उप तहसीलदार हरसाणी, जिला बाड़मेर

प्रार्थी  
राजस्थान सरकार जरिये  
पटवारी हल्का खारची

बनाम

विप्रार्थी  
श्री **लाख सिंह**  
पुत्र **शोम सिंह**  
नि. गोरड़िया, त. गडरारोड़

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या **19** / 2025

### —:निर्णय:—

पत्रावली आज बमुकाम हरसाणी में पेश हुई। विप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित। पटवारी हल्का खारची उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खारची ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विप्रार्थी ने ग्राम गारेडिया के खसरा नम्बर 683 कुल क्षेत्रफल 22.4115 हैक्टेयर किस्म **गै. मु. गोचर** में **0.1618** हैक्टेयर पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का खारची की रिपोर्ट के अनुसार विप्रार्थी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया।

अतः विप्रार्थी को भू राजस्व अधिनियम 1956 धारा 91 के तहत राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है। उक्त अतिक्रमित राजकीय भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं। साथ ही विप्रार्थी पर राशि **50/-** अक्षरे **पचास** रुपये का जुर्माना आरोपित किया जाता है। जो विप्रार्थी से वसूल किया जावे।

पटवारी हल्का **खारची** को आदेशित किया जाता है कि गैरसायल को उक्त राजकीय भूमि में से भौतिक रूप से बेदखल कर राजकीय भूमि को कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पालना पेश करें। मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक **08.09.2025** को खुले न्यायालय में सूनाया गया।

  
उप तहसीलदार हरसाणी